"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31अक्टूबर 2013— कार्तिक 9, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/खाद्य/2011/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित कार्यपालिक) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . — (1) ये नियम छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं . — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित कार्यपालिक);

(ख) **"बोर्ड/मण्डल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ;

(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है शासन द्वारा यथा अनुमोदित चयन समिति ;

(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा ;

(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित कार्यपालिक) सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:—

(एक) खाद्य निरीक्षक के 95 प्रतिशत पद, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे,

(दो) खाद्य निरीक्षक के 5 प्रतिशत पद, अनुसूची—पांच में विनिर्दिष्ट योजना के अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से चयन द्वारा भरे जायेंगे।

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप—नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप—नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिये, एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.– (लिपिक वर्गीय सेवा को छोड़कर)–** प्रतियोगी परीक्षा हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त किसी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसी कि अनुसूची–तीन के कॉलम (5) में दर्शित है।

(तीन) **(क) शुल्क** – अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा शुल्क– ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.– (1)** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती (लिपिक वर्गीय संवर्ग की सेवाएं छोड़कर).–**

(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन/प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड/मण्डल के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे;

(2) बोर्ड/मण्डल द्वारा परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जाएगी, जैसा कि शासन द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से समय–समय पर जारी किये जाये।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड/मण्डल द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (4) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्त व्यक्तियों के लिये, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **बोर्ड/मण्डल द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**– एक. (1) बोर्ड/मण्डल, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि बोर्ड/मण्डल द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए बोर्ड/मण्डल द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची, बोर्ड/मण्डल द्वारा इसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

दो. **लिपिक वर्गीय सेवाओं में खाद्य निरीक्षक के पद के लिये सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन के माध्यम से भर्ती**– (1) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय सेवा के व्यक्तियों से खाद्य निरीक्षक के पदों को भरने के लिये, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष ऐसी तारीख पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी जैसा कि अनुसूची–पांच में विनिर्दिष्ट अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों का प्रतिशत, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेगा।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) नियुक्ति के लिये अनुशंसित उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची– उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो अनुसूची–पांच में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार अर्ह हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा। यह सूची इसके अंतिम रूप दिये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रभावी होगी।

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1)** पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार होगा।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) में उल्लिखित प्रावधानों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.– (1)** उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया (कार्यभार ग्रहण किया) हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने (कार्यभार ग्रहण करने) की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.– (1)** विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा पदोन्नति के लिये पात्र पाया गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार करने के लिसे मापदण्ड, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता सह उपयुक्तता पर आधारित होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा परिभाषित सेवा या पदो में वरिष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य रो ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) किसी कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये तैयार की गई चयन सूची की वैधता उसी कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक होगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा।
परीक्षा— पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक खाद्य अधिकारी	59	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	9300—34800	4300
2.	खाद्य निरीक्षक	260	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	5200—20200	2800

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

स. क.	विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) (एक) एवं (दो) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सहायक खाद्य अधिकारी	59		100%	
2.	–तदैव–	खाद्य निरीक्षक	260	95%	5%	

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
1.		खाद्य निरीक्षक	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि	

टीप– ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 13 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पात्रता के लिये अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य निरीक्षक	सहायक खाद्य अधिकारी	5 वर्ष	1. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण – अध्यक्ष 2. अवर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग – सदस्य 3. संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय – सदस्य

अनुसूची–पांच

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से निरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु योजना–

1. **शीर्षक**– यह योजना खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निरीक्षक के पद में, संचालनालय खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं अधीनस्थ कार्यालय (जिला कार्यालय खाद्य शाखा) में कार्यरत लिपिक वर्गीय सेवा से, नियुक्ति के लिए योजना कहलायेगी।

2. **पात्रता**– इस योजना में भाग लेने के लिये लिपिक वर्गीय संवर्ग के सदस्यों के पास निम्नलिखित पात्रतायें होनी चाहिये:–

   (1) ऐसे कर्मचारी, जो संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा इसके अधीनस्थ कार्यालय (जिला कार्यालय खाद्य शाखा) में लिपिक वर्गीय संवर्ग में हों, क्रमशः निरन्तर पांच वर्ष तक कार्यरत रहे हों, (जिला कार्यालय, खाद्य शाखा के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा)।

   (2) ऐसे कर्मचारी, जो अनुसूची–तीन के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के निरीक्षक पद में सीधे नियुक्ति के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, (जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो)

   (3) चयन किये जाने वाले वर्ष के 1 जनवरी को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 45 वर्ष से अधिक न हो।

3. **चयन**– नियुक्ति के लिये चयन– (1) इस योजना के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंक, और

   (2) संबंधित कर्मचारी की पिछले पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन।

4. **परीक्षा**– (1) लिखित परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीखों तथा स्थान में, ली जाएगी, जो उसके द्वारा नियत किया जाये।

   (2) लिखित परीक्षा में 2½ (ढाई) घंटे की अवधि के दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक 50 अंक के होंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र में, कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

   (3) प्रश्न पत्र निम्नलिखित विषयों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा:–

   प्रश्न पत्र क्र. I– सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान।

   प्रश्न पत्र क्र. II– शासकीय सेवा के सामान्य नियम, विभाग में प्रचलित शब्दावलियों, विभाग में प्रचलित अधिनियम, नियम, उप–नियम, मैन्युअल इत्यादि के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो का ज्ञान,

   (4) प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

   (5) ऐसे कर्मचारी इस परीक्षा में शामिल होने के लिये पात्र होंगे जो उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित पात्रताएं रखते हों। इस परीक्षा में भाग लेने के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व, आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिये पात्र पाये जायेंगे, उन्हें तारीख, स्थान इत्यादि के बारे में सूचना दी जायेगी।

   (6) उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिये विभाग के मूल्यांकन अधिकारियों को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित किया जायेगा।

   (7) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बनाई जायेगी जिसने प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

5. **गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन तथा चयन की अंतिम सूची**– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पैरा 4 (7) के अनुसार चयन सूची में पाया गया हो, के गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन अनुसूची–चार के कॉलम (6) में विहित अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन के लिये 20 अंक में से निम्नलिखित अंक दिये जायेंगे—

उत्कृष्ट / बहुत अच्छा	—	20
अच्छा	—	15
सामान्य	—	10

(3) लिखित परीक्षा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त कुल अंक को जोड़ा जायेगा।

(4) मैरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी, जहां परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंको और गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा ।

(5) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निरीक्षक के लिये चयनित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता वही होगी, जो अंतिम चयन सूची में हो।

6. **परिवीक्षा**— इस योजना के द्वारा चयनित किये गये कर्मचारी, 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। जहां इस अवधि में प्रशिक्षण दिया जायेगा और यदि कोई विभागीय परीक्षा देना आवश्यक हो तो वह भी उत्तीर्ण करना होगा। यदि परीवीक्षा अवधि में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निरीक्षक के पद के लिये किसी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके मूल पद में प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा तथा निरीक्षक के रूप में उसके द्वारा की गई परीवीक्षा की अवधि को लिपिक वर्गीय सेवा में की गई अवधि मानी जायेगी।

परिशिष्ट

प्रश्न पत्र हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र– प्रथम (पूर्णांक 50)

(1) सामान्य ज्ञान– सामान्य घटनाएं, भारत का इतिहास, भूगोल का इतिहास तथा संबंधित प्रसंग, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी (10 अंक)

(2) सामान्य अंग्रेजी (15 अंक)

(3) प्रारंभिक गणित– गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ–हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन औसत तथा अनुपात (15 अंक)

(4) कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान (10 अंक)

प्रश्न पत्र– द्वितीय (पूर्णांक 50)

(1) विभागीय सेवा संबंधी ज्ञान– वेतन तथा भत्ता, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें (10 अंक)

(2) विभाग के प्रयोग में आने वाले विशिष्ट ऐसे शब्द, जिनका विभाग में कुछ विशिष्ट अर्थ होता है, का ज्ञान. (15 अंक)

(3) विभागीय नियम से संबंधित ज्ञान– कतिपय अधिसूचना, नियम, नियंत्रण आदेश इत्यादि, जिस पर विभाग का कार्य आधारित हो (25 अंक)

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 1–22/खाद्य/2011/29–1.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 30th October 2013

NOTIFICATION

No. F 1-22/food/2011/29-1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment in the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Executive) Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Executive) Service, Recruitment Rules, 2013.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "**Appointing Authority**" means the Director/Commissioner of Food Civil Supplies and Consumer Protection Department;

   (b) "**Board/ Mandal**" means the Chhattisgarh Professional Examination Board;

   (c) "**Committee**" means the Selection Committee as approved by the Government;

   (d) "**Examination**" means a competitive examination conducted for the recruitment as per rule 11;

   (e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (f) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

   (g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5/twenty five/4-84, dated 26-12-1984.

   (h) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

   (i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (k) "**Service**" means the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Executive), Service;

   (l) "**State**" means the State of Chhattisgarh;

3. **Scope and application.** -Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.** - The service shall consist of the following persons, namely:-
(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding in substantively the posts specified in Schedule-I;
(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.** - The classification of the service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** - (1) After the commencement of these rules, the recruitment in service shall be conducted through the following methods, namely:-
(a) By direct recruitment through competitive examination:-
(i) 95 % of the post of Food Inspector shall be filled by direct recruitment through competitive examination,
(ii) 5% of the post of Food Inspector shall be filled by selection from the clerical employees in accordance with the scheme specified in Schedule -V.
(b) By promotion of members of the service;
(c) By transfer of such persons, who holds substantively such posts in services, as may be specified in this behalf.
(2) The number of the persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.
(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.
(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, after consultation with the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
(5) For the post to be filled by direct recruitment on the merit basis the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.
(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall be applicable.

7. **Appointment in service-** All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment .-(except the services of clerical cadre)** – In order to be eligible for competitive examinations, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age- (a) The candidate must have attained the age as specified in column(4) of Schedule- III and not have attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January of the year, in which the advertisement for post is published.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for the Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the condition as specified below :-

- (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more than 38 (thirty eight) years of age;
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38(thirty eight) years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;
- (iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7(seven) years even if it represents more than one spell:

  Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (years) prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation – The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
- (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on –
  - (a) Completion of short term engagement;
  - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-servicemen invalidated out of service;
- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2(two) years in respect of the green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5(five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple as per Inter-caste Marriage Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 5(five) years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundahadur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder and National Youth Award young holder candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8(eight) years, but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note - (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in rule 8(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination / selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limit shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination.

(k) The directions in respect of age limit, issued by the General Administration Department from time to time, shall be applicable.

(l) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above categories for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years.

(II). Educational Qualification –The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III). Fees – (A) The candidate must pay the fees prescribed by the Board/Mandal.

(B) Medical fees- The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification.** - (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by Appointing Authority to disqualify him for selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be ineligible for appointment to a service or post who has already one living children and next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidature shall be final.- The decision taken by the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of candidature for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct recruitment by competitive examination/selection (except the services of clerical cadre) –

(1) The competitive examination/selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultant with the Board/Mandal from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the Board/Mandal as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government in consultation with the Appointing Authority, from time to time.

(3) At the time of recruitment in service provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy- layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Board/Mandal keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy- layer) as per sub-rule (4), as the case may be.

(6) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of competent authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for persons with disabilities shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department, from time to time.

12. List of Candidates recommended by the Board/Mandal. – I. (1) The Board/Mandal shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit, the candidates who have qualified by such standard as may be determine by the Board/Mandal and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by such standard, but are declared by the Board/Mandal to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of the administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiries, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Select list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Board/Mandal.

II. Recruitment through Selection by limited competitive examinations for the post of Food Inspector in the clerical services – (1) For filling the posts of the Food Inspector from the person of the clerical service working in the Directorate of Food and Civil Supplies and sub-ordinate offices, a limited competitive examinations shall be held every year by the Appointing Authority on such date as may be determined by the Appointing Authority as specified in Schedule -V.

(2) There shall be reserved percentage of the available vacancies for such recruitment, who are the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, in accordance with the instructions issued by the General Administration Department, respectively.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in sub-rule (1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) List of suitable candidates recommended for appointment – A list arranged in order of merit of the candidates who have qualified in accordance with the standards specified in Schedule-V and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by such standard , but are declared by the Committee/Appointing Authority to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration the list shall be prepared. This list shall be effective for the period of one year from the date of its finalization.

(5) Subject to the provisions of these rules, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.** - (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub- rule, for constitution of the committee, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committees shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with the provision mentioned in sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time..

14. **Conditions regarding eligibility for promotion.**- (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive), on the post from which promotion is to be made as specified in column (5) of Schedule-IV by the Government, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule(2).

Explanation- Method of computation for eligibility of promotion – The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year, in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) Reservation in promotion shall be made according to the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Promotion shall be given according to the reservation roster prescribed by the Government for promotion.

15. **Preparation of list of the suitable officers.**-(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are found eligible for promotion by the committee. This list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of the select list for promotion shall be based on seniority subject to fitness as per provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) At the time of preparation of select list according to the Chhattisgarh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, the name of employees included in the select list, shall be made on the basis of seniority as defined in column (3) of Schedule-IV.

Explanation - The person, whose name has been included in the select list, but has not been promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list.-** (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be select list for promotion of the members of services from the post mentioned in column (3) of Schedule-IV to the post mentioned in column (4) of said Schedule.

(2) The validity of the select list prepared for promotion in the calendar year shall be up to 31st December of that particular calendar year:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) List of suitable officers shall be prepared as per the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person appointed in the service shall be kept under probation for a period of two years.

Examination- Every person appointed in the service by promotion shall be treated to be on the officiating capacity for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any such person to whom these rules shall apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.** -Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

S.No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Scale of pay	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Food Officer	59	Class-III (Executive)	9300-34800	4300
2.	Food Inspector	260	Class-III (Executive)	5200-20200	2800

(i) "State" means the state of Chhattisgarh,

SCHEDULE-II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

S.No.	Name of the Department	Name of post	Total number of posts	Percentage of posts to be filled in		
				By direct recruitment [Vide Rule 6 (1) (a) (i) and (ii)]	By promotion of the members in service [Vide Rule 6 (1) (b)]	By temporary transfer from Other Services [Vide Rule 6 (1) (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department	Assistant Food Officer	59		100	
2.	.......do.......	Food Inspector	260	95 %	5%	

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

S.No.	Name of the Department	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational qualification	Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department					
1.		Food Inspector	21year	30 year	Graduation from any recognized University	

Note:- The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are *bonafide* resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE- IV
(See Rule 13)

S. No.	Name of the Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection department	Food Inspector	Assistant Food Officer	5 year	1. Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection- Chairman 2. Under Secretary, Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department – Member 3. Joint Director, Food Civil Supplies and Consumer Protection Directorate – Member

SCHEDULE-V

Scheme for appointment of clerical employees to Food Civil Supplies and Consumer Protection Inspector through Limited Competitive Examination-

1. **Title** – This scheme will be called the Scheme for Appointment of Food Civil Supplies and Consumer Protection Inspectors, clerical service employees of Directorate of Food and Civil Supplies and its subordinate offices (District Office, Food Section) to the post.

2. **Eligibility-** Members of clerical cadre to participate in this scheme should hold following eligibilities:-
   (1) Those employees who are working in clerical cadre of Directorate of Food Civil Supplies, Consumer Protection and to its subordinate offices (District office, Food Section), for continuously 5 years respectively (The clerical staff of District Office , Food Section has to obtain the nó objection certificate by the Collector)..
   (2) Employees who have educational qualifications for direct appointment to the post of Food and Civil Supplies Inspector as per Schedule-III. (Graduation from any recognized University).
   (3) Not exceeding 40 years of age on 1st January of the year of selection. 45 years of age for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees.

3. **Selection** – Selection for appointment- (1) Number of marks obtained by the passed candidates in examination conducted in this scheme.
   (2) Evaluation of previous 5 years, Confidential Reports related to the employees.

4. **Examination** – (1) Written examination will be conducted by the Appointing Authority every year at the time and venue as fixed by him.

   (2) In the written examination there will be two question papers of two and half hours duration with 50 marks each. For passing this examination it is essential to get minimum 50% marks in each question paper.

   (3) Question papers will be prepared by the Appointing Authority on the following subjects –

   Question paper No. I - General Knowledge, General English, Preliminary Mathematics and General knowledge of Computer.

   Question paper No. II - General rules of government service, Phrases used in the department, Works done in the department under which act, rule, sub-rule, manual etc.

   (4) Syllabus of question papers is given in the annexure attached.

   (5) Those employees will be entitled to appear in this examination, who holds the eligibilities mentioned in para 2 above. Application for participating this examination will be called from the desired candidates by the Appointing Authority minimum one month before the prescribed date of examination. Candidates who are found eligible to appear in the examination will be intimated regarding date, venue etc.

   (6) Valuation officer of the department for answer papers will be nominated by the Appointing Authority.

   (7) A list of such candidates will be prepared, who have earned 50 marks and above.

5. **Valuation of confidential reports and final select list-** (1) Confidential Reports of those names which are found in the select list as per para 4 (7) will be evaluated by the DPC as prescribed in Schedule-IV column (6).

   (2) For confidential reports of each year for each candidate, following marks will be given out of 20 marks.
   Excellent/Very Good - 20
   Good - 15
   Medium - 10

   (3) Total marks obtained in written examination and in Confidential Reports of each candidate will be added together.

   (4) Final select list will be prepared on the basis of merit, where the total marks obtained in the examination as well as Confidential Report will be considered.

(5) Seniority of the clerical employees selected for Food Civil Supplies and Consumer Protection Inspectors will be the same as in final select list.

6. **Probation-**Those employees selected by this scheme will be kept for a probation period of 2 years. Where training will be given during this period and in case any departmental examination becomes essential, then in that case it has to be passed. In case any candidate is not found suitable for the post of Food Civil Supplies and Consumer Protection Inspector during the probation period, he will be reverted to his original post and the period of his probation as Inspector will be treated as clerical service.

ANNEXURE

Syllabus for Question Papers

Question paper-I **(Total marks 50)**

(1) General Knowledge - General Incidents, Indian History, Global History and related issues, General information on Chhattisgarh. (10 marks)

(2) General English (15 marks)

(3) Preliminary Mathematics - Multiplication, Division, Percentage, Profit & Loss, Average, Area, Average Volume and Ratio. (15 marks)

(4) General Knowledge of Computer (10 marks)

Question Paper -II **(Total marks 50)**

(1) Departmental Service Knowledge – Pay and allowances, leave, GPF, Recruitment Rules and Service terms. (10 marks)

(2) Knowledge of specific words of department such used which has some specific meaning in the department. (15 marks)

(3) Knowledge regarding departmental Rules - Certain notifications, rules, control orders etc., based on which department is working. (25 marks)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.